

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा
जिला-बेमेतरा
// ज्ञापन //

क्र0/203 / प्र-1/अ.वि.आ./2017
प्रति,

साजा दिनांक 09.03.2017

1. कलेक्टर,
बेमेतरा
2. अनुविभागीय अधिकारी,
साजा
3. तहसीलदार,
बेरला
4. सचिव, ग्राम पंचायत कुमसी
तहसील बेरला

विषय :— भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 07 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन बाबत।

विषयांतर्गत लेख है कि, बेरला बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम कुसमी प.ह.नं. 27 तहसील बेरला जिला बेमेतरा (छ.ग.) की निजी भूमि 1.50हे. को भू-अर्जन अंतर्गत अधिग्रहित करने हेतु धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु अधिसूचना की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। अधिसूचना प्रकाशन की अंतिम तिथि 24.04.2017 को नियत है। अतः अधिसूचना का प्रकाशन समय-सीमा अंतर्गत कराया जाकर एक प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)एवं
भू-अर्जन अधिकारी
साजा

पृ०क्र0/204 / प्र-1/अ.वि.आ./2017
प्रतिलिपि:-

साजा दिनांक 09.03.2017

1. श्री
सामाजिक समाधात निर्धारण दल को सूचनार्थ अधिसूचना की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। अतः दिनांक 24.04.2017 को नियत स्थान मे उपस्थित जन सुनवाई की कार्यवाही की जाकर कार्यवाही की प्रति तत्काल कलेक्टर महोदय-बेमेतरा को भेजने का कष्ट करें।

2. NIC बेमेतरा को अधिसूचना का प्रकाशन राजस्व विभाग के वेबसाइट मे अपलोड किया जावें।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)एवं
भू-अर्जन अधिकारी
साजा

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

----00----

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
बेमेतरा	बेरला	कुसमी	1.50 हेक्टेयर	जिला बेमेतरा के बेरला बायपास मार्ग निर्माण कार्य लं. 6.60 किमी.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) २५-०५.१७ को (समय) १०-३० बजे (स्थान) छत्तीसगढ़ी पर नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

- (एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण।
जिला—बेमेतरा के बेरला बायपास मार्ग निर्माण लं. 6.60 किमी. भू—अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।
कृषकों की संख्या 27, प्रस्तावित अर्जन का प्रभावित होने की संभावना नहीं है।
- (तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।
निरंक
- (चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिस्मितियों की अनुमानित संख्या।
कृषकों की संख्या 27
- (पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिस्मितियों की अनुमानित संख्या।
निरंक
- (छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?
अर्जन के लिए प्रस्तावित परियोजना की सीमा उस परियोजना के लिए यथार्थ न्यूनतम सीमा तक ही है।
- (सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?
बेरला बायपास मार्ग निर्माण में आ रही प्रस्तावित भूमि आवेदक के मांग पर लंबित भूमि का मुआवजा किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- (आठ) परियोजना की कुल लागत।
रु. 1480.24 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त।
- (नौ) परियोजना से होने वाला लाभ।
नागरिकों को बेरला बायपास मार्ग निर्माण से आवागमन/यातायात में लाभान्वित होंगे।
- (दस) प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभातिव व्यय।
रु. 1480.24 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति राशि से बेरला बायपास मार्ग निर्माण में मांग संख्या 24/5054 (03)-(337)-0101-(4336) राज्य में सड़कों का निर्माण मद में व्यय किया जावेगा।
- (यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक।
निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।


कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाग
बेमेतरा

R.S.L.-L/19


चिला कलोकेश्वर
हेडमस्टर